छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पद

1. (*क्र. 1137) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने पद भरे हैं (पदस्थ हैं) कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार विवरण दें. (ख) क्या छ. ग. प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण की जांच के लिये प्रयोगशाला है ? यदि हां तो, कहां ? यदि नहीं तो, क्या विभाग द्वारा छ. ग. प्रदेश में खाद्य सामग्रियों की शुद्धता की जांच हेतु प्रयोगशाला या जांच करने हेतु किसी संस्थान की स्थापना की योजना है ? (ग) वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में दिनांक 27-01-2010 तक खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के कितने प्रकरण बनाये गये हैं ? जिलेवार आंकड़े दें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कुल 38 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 01 पद संविदा से भरे तथा शेष 37 पद रिक्त हैं. इसके अतिरिक्त 02 लेब टेक्नीशियन खाद्य निरीक्षक के पद पर अधिसूचित हैं. जिले स्तर पर खाद्य निरीक्षक के पद नहीं हैं. (ख) जी हां. राज्य खाद्य प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर. (ग) वर्ष 2008-09 में 44 एवं वर्ष 2009-10 में दिनांक 27-01-2010 तक 95 प्रकरण बनाये गये हैं. जिलेवार जानकारी ² संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

महासमुंद जिला में नवीन मदिरा दुकान खोले जाने संबंधी

2. (*क्र. 1142) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में पिछले 2 वर्षों में शराब (देशी/विदेशी) की कितनी नई दुकानें कहां-कहां खोली गई हैं ? वर्षानुसार जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या दुकान खोलने के पूर्व महासमुंद जिला आबकारी सलाहकार समिति की सहमति प्राप्त की जाना आवश्यक है ? यदि हां तो, क्या सहमति प्राप्त की गई थी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2007-08 में कोई भी नवीन देशी/विदेशी शराब दुकान नहीं खोली गई है तथा वर्ष 2008-09 में विदेशी शराब की 11 नवीन दुकानें खोली गई हैं. खोली गई दुकानों के स्थान की जानकारी निम्नानुसार है :--

विदेशी मदिरा दुकान :-- (1) एकता चौक महासमुंद (2) तुमगांव (3) पटेवा (4) सिरपुर (5) पिरदा (6) लम्बर (7) बलौदा (8) तेन्दूकोना (9) कोमाखान (10) भीमखोज (11) देवरी.

(ख) जी हां. सहमति प्राप्त की गई थी.

जांजगीर-चांपा जिले में आपदा प्रबंधन हेतु प्राप्त राशि

3. (*क्र. 1232) **श्री नारायण चंदेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के किन-किन विकासखंडों के कौन-कौन से गांव एवं क्षेत्र में अप्रैल 2007 से मार्च 2009 तक कितनी-कितनी राशि आपदा प्रबंधन हेतु प्राप्त हुई है? (ख) उक्त राशि में क्या-क्या काम किस एजेन्सी के माध्यम से कराए गए हैं ?

---

² परिशिष्ट "एक"

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के जिन विकासखण्डों तथा ग्राम एवं क्षेत्र को वित्तीय वर्ष 2007-08 में जो राशि प्राप्त हुई है वह निम्नानुसार है :—

क्र.	वि. खं. का नाम	ग्राम/क्षेत्र का नाम	प्राप्त राशि (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नवागढ़	पिथमपुर (पिथमपुर से गाड़ापाली)	22.23
2.	नवागढ़	गौद (गौद से गाड़ापाली)	45.66
3.	नवागढ़	हरदी (हरदी से हड़हामुहान)	28.38
4.	बम्हनीडीह	हरांभांठा (हरांभांठा से दारंग ग्राम पं. पोड़ीकला)	5.00
		योग	101.27

वर्ष 2008-09 (मार्च 2009 तक) में कोई राशि आपदा प्रबंधन हेतु प्राप्त नहीं हुई. (ख) उक्त राशि से स्वीकृत किये गये कार्य एवं एजेन्सी का नाम निम्नानुसार है :—

क्र.	स्वीकृत किये गये कार्य	एजेन्सी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	पिथमपुर से गाड़ापाली मार्ग एवं पुलिया निर्माण	कार्यपालन अभियंता हंसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.
2.	गौद से गाड़ापाली पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण	कार्यपालन अभियंता हंसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.
3.	हरदी से हड़हामुहान पहुंच मार्ग निर्माण	कार्यपालन अभियंता हंसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.
4.	हरांभांठा से दारंग पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बम्हनीडीह

राज्य में बारूद भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय हेतु प्रदत्त लायसेंस

4. (*क्र. 425) **श्री सौरभ सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में किन व्यक्तियों, संस्थानों और उद्योगों को बारूद भण्डारण परिवहन और बिक्री का लायसेन्स प्राप्त है ? कितनी बारूदी क्षमता पर कितना स्टॉक रखने की अनुमति है ? विभिन्न बारूदों का प्रकार विध्वंसक क्षमता बताकर विस्तारपूर्वक जानकारी दें. (ख) प्रश्न (क) में उल्लेखित कण्डिकाओं को कितने वर्षों के लिए लायसेन्स दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) बारूद भण्डारण, परिवहन और बिक्री का लायसेंस जारी करने के लिए विस्फोटक नियंत्रक अनुज्ञापन प्राधिकारी होते हैं, जो भारत सरकार के अधीन हैं. राज्य में जिन व्यक्तियों, संस्थानों और उद्योगों को बारूद भण्डारण, परिवहन और बिक्री का लायसेन्स प्राप्त है तथा बारूद के प्रकार एवं स्टॉक रखने की अनुमति संबंधी वांछित जानकारी पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन के वेबसाईट www.peso.gov.in में उपलब्ध जानकारी अनुसार परिशिष्ट "अ", परिशिष्ट "ब" एवं परिशिष्ट "स" पुस्तकालय में रखे हैं. उपरोक्त प्रश्न विस्फोटक नियंत्रक कार्यालय से संबंधित होने के कारण बारूदों का विध्वंसक क्षमता संबंधी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. (ख) प्रश्नांश "क" के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" में जानकारी है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानें तथा अवैध शराब विक्रय के दर्ज प्रकरण

5. (*क्र. 1110) **श्री भोलाराम साहू :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत देशी एवं विदेशी शराब व बीयर की दुकानें किस-किस व्यक्ति के नाम से कहां-कहां आवंटित है ? (ख) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009-10 में दिनांक 27-01-10 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बेचने के कितने प्रकरण दर्ज किये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) वर्ष 2009-10 में दिनांक 27-01-2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बेचने के कोई प्रकरण दर्ज नहीं किए गए हैं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत पंचायतवार पेंशनधारियों की संख्या

6. (*क्र. 239) **श्री संतोष बाफना :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, निराश्रित वृद्ध पेंशन योजनांतर्गत पेंशनधारियों की संख्या कितनी है ? जनपद पंचायतवार बतावें ? (ख) उपरोक्त योजना के पेंशनधारियों को प्रतिमाह किस तारीख तक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायतवार संख्या निम्नानुसार है :-

योजना का नाम	जनपद पंचायत जगदलपुर	जनपद पंचायत दरभा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	5613	82
सुखद सहारा	840	92
इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3043	222

(ख) प्रतिमाह 07 तारीख तक भुगतान किए जाने का प्रावधान है.

कोरबा एवं जांजगीर जिले में स्पंज आयरन संयंत्रों से मदवार टैक्स की वसूली

7. (*क्र. 738) **श्री मोहम्मद अकबर :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा एवं जांजगीर जिले में स्थापित स्पंज आयरन संयंत्रों से वर्ष 2006-2007, 2007-2008 एवं 2008-2009 में मदवार टैक्स/शुल्क/जुर्माना के रूप में कुल कितनी-कितनी राशि वसूल की गई है ? कुल कितनी-कितनी राशि शेष है ? कब तक वसूल की जायेगी ? (ख) उक्त अवधि में उक्त संयंत्रों के मदवार करों का कितना-कितना निर्धारण, कब-कब, किनके-किनके द्वारा हुआ है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कोरबा जिले की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" एवं जांजगीर जिले की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. बकाया राशि की वसूली चार माह में की जावेगी. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" में दर्शित है.

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम वाले चिकित्सकों की ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक के पदों पर नियुक्ति

8. (*क्र. 702) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के प्राथमिक केन्द्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक के पद पर कितने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम वाले चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है ? जिलेवार संख्या बतावें. (ख) उपरोक्तानुसार नियुक्त ग्रामीण स्वास्थ्य सहायकों में से वर्तमान में कितने कार्यरत हैं ? जिलेवार संख्या की जानकारी देवें. (ग) क्या प्रदेश के उपरोक्त त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम वाले चिकित्सकों का पंजीयन राज्य के "राज्य के मेडिकल रजिस्टर" (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्) में किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 858 चिकित्सक. ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) 759 कार्यरत. ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) जी नहीं. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप न्यूनतम एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी के पंजीयन का प्रावधान है.

---

† परिशिष्ट "दो" †† परिशिष्ट "तीन" ‡ परिशिष्ट "चार"

धरमजयगढ़ अनुरक्षण गृह से बालिकाओं की गुमशुदगी

9. (*क्र. 1180) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालिका अनुरक्षण गृह, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ में कितनी बालिकायें 28 जनवरी, 2010 की स्थिति में निवासरत् हैं ? उक्त अनुरक्षण गृह में कितनी बालिकाओं को रखने की स्वीकृति है ? (ख) उक्त अनुरक्षण गृह से कितनी बालिकायें कब से लापता है ? लापता होने के क्या कारण है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) बालिका अनुरक्षण गृह, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ में 02 बालिकायें 28 जनवरी, 2010 की स्थिति में निवासरत् हैं. उक्त अनुरक्षण गृह में 10 बालिकाओं को रखने की स्वीकृति दी गई है. (ख) धरमजयगढ़ बालिका अनुरक्षण गृह से 03 बालिकायें दिनांक 24-12-2009 प्रात: 5 बजे से 5.30 बजे के मध्य से लापता हैं. कारण ज्ञात नहीं है. पुलिस विवेचना कर रही है.

पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र में संचालित भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्र

10. (*क्र. 478) **श्री रामपुकार सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं ? स्वीकृत पदों सहित जानकारी देवें ? (ख) स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र भवनविहीन हैं ? किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद के विरुद्ध कर्मचारी पदस्थ नहीं हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार.

जिला रायगढ़ में पेंशन हितग्राहियों को भुगतान

11. (*क्र. 525) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के वि. खं. लैलूंगा एवं तमनार में निराश्रित वृद्धा पेंशन धारियों की संख्या 01-01-08 में एवं 01-01-09 में कितनी-कितनी थी ? (ख) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र के वि. खण्ड तमनार में निराश्रित वृद्धा पेंशन के कितने हितग्राहियों को नवम्बर, 09 तक भुगतान हुआ है, तथा कितने हितग्राहियों का भुगतान शेष है ? (ग) शेष हितग्राहियों को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन धारियों की विकासखण्डवार संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	लैलूंगा	तमनार
01-01-2008 में	632	509
01-01-2009 में	2241	1665

(ख) समस्त हितग्राहियों को भुगतान किया जा चुका है. किसी हितग्राही का भुगतान शेष नहीं है. (ग) निरंक.

आरंग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा धान खरीदी

12. (*क्र. 1017) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ फसल धान खरीदी कुल कितनी मात्रा में की गई है ? विकासखंडवार खरीदी गई धान की मात्रा बतावें ? प्रति एकड़ औसत उत्पादन कितनी अनुमानित की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में दिनांक 04-02-2010 तक सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ फसल धान कुल 14,70,221 क्विंटल खरीदी की गई. आरंग विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ आरंग विकासखंड है. इसी अवधि में आरंग विकासखंड में कुल 17,12,554 क्विंटल धान की खरीदी की गई है. जिला रायपुर का प्रति एकड़ औसत अनुमानित उत्पादन 7.69 क्विंटल है.

महासमुन्द जिले में सूखा एवं अकालग्रस्त तहसील

13. (*क्र. 680) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले के किन-किन तहसील को सूखा एवं अकालग्रस्त घोषित किया गया है ? कौन-कौन सी तहसील आंशिक रूप से सूखा प्रभावित है ? (ख) बसना एवं सरायपाली तहसील के सूखा प्रभावित ग्रामों के नाम एवं कितने प्रतिशत सूखा प्रभावित है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) खरीफ फसल की वास्तविक आनावारी वर्ष 2009-10 के आधार पर महासमुन्द जिले के किसी भी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है. (ख) बसना एवं सरायपाली तहसील के कोई भी ग्राम सूखा प्रभावित नहीं है अत: सूखा प्रतिशत बताने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

14. (*क्र. 562) **श्री दूजराम बौद्ध :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं ? कब तक नवीन भवनों का निर्माण होगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : पामगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 144 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन है. नवीन भवनों के निर्माण के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

बस्तर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एन.जी.ओ. को प्रदत्त राशि

15. (*क्र. 356) **श्री बैदूराम कश्यप :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में किन-किन एन.जी.ओ. को कौन-कौन से क्षेत्र में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ? क्या यह कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं तो, क्यों ? (ख) एन.जी.ओ. को प्रदाय किये जाने वाली राशि में से कितनी राशि केन्द्र सरकार की तथा कितनी प्रदेश शासन की हैं ? वर्षवार बतावें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क)

क्र. (1)	वर्ष (2)	एन.जी.ओ. का नाम (3)	राशि (4)	कार्य/क्षेत्र का नाम (5)	कार्य की प्रगति (6)
1.	2007-08	विवेकानंद ट्रायबल हास्पीटल, जगदलपुर, (रामकृष्ण मिशन संस्था)	50000.00	जगदलपुर ग्रामीण क्षेत्र पु.रा.क्ष.नि. कार्यक्रम के तहत पी.पी.एन.जी.ओ. स्कीम 4-बी के तहत डी.एम.सी. डाट सेंटर संचालन के लिए.	पूर्ण
2.	2008-09	तदैव	50000.00	तदैव	पूर्ण
3.	2008-09	बस्तर सामाजिक जन विकास समिति	437433.00	बस्तर लक्षित हस्तक्षेप योजना (जिला-बस्तर, जगदलपुर)	कार्य निरंतर जारी है
4.	2009-10	तदैव	353468.00	बस्तर लक्षित हस्तक्षेप योजना (जिला-बस्तर, जगदलपुर)	कार्य निरंतर जारी है
5.	2009-10	एम.पी.एम. हास्पीटल, अधनपुर, जगदलपुर, बाईस क्रिश्चियन मिशन संस्था.	50000.00	जगदलपुर ग्रामीण क्षेत्र पु.रा.क्ष.नि. कार्यक्रम के तहत पी.पी.एन.जी.ओ. स्कीम 4-बी के तहत डी.एम.सी. डाट सेंटर संचालन के लिए.	पूर्ण

(ख) समस्त राशि केन्द्र शासन की है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

16. (*क्र. 758) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बेमेतरा, बेरला, आनंदगांव एवं सरदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत स्टॉफ के अनुरूप कितने डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ कार्यरत हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : बेमेतरा व बेरला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं है. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आनंदगांव एवं सरदा में स्थिति निम्नानुसार है :—

आनंदगांव	चिकित्सक - 01, अन्य स्टाफ - निरंक.
सरदा	चिकित्सक- 01, अन्य स्टाफ - 01.

निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ में दवाईयों की व्यवस्था

17. (*क्र. 316) **श्री दीपक कुमार पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 में कोरिया जिले के सामुदायिक केन्द्र मनेन्द्रगढ़ में कौन-कौन सी कितनी दवाईयां उपलब्ध कराई गई है ? (ख) दवा उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी कौन है ? (ग) दवा के अभाव में गरीब मरीजों के लिये दवाई की क्या व्यवस्था है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) औषधियों का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भी जीवनदीप से क्रय कर औषधि उपलब्ध कराई जाती है.

भटगांव विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति

18. (*क्र. 945) **श्री रविशंकर त्रिपाठी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले के भटगांव विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं कितने नये केन्द्र खुलना प्रस्तावित है ? (ख) भटगांव विधान सभा क्षेत्र के कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने सहायिका के पद रिक्त हैं एवं उनकी पूर्ति कब तक की जाएगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) सरगुजा जिले के भटगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 636 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा 83 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 13 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है. (ख) भटगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 21 आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायिकाओं के पद रिक्त हैं. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है. पद पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

कोरबा नगर की मसाहती (अनसर्वेड) भूमि विवादों के प्रकरणों का निपटारा

19. (*क्र. 1228) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा नगर की कितनी भूमि मसाहती (अनसर्वेड) है ? वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में इस भूमि पर विवाद के कितने प्रकरण दर्ज हुए ? (ख) मसाहती (अनसर्वेड) भूमि की उपरोक्त कंडिका "क" के भू-अभिलेखों का रिकार्ड किस तरह संधारित किया जाता है ? (ग) कंडिका "क" की विवादित भूमियों के कितने प्रकरणों का निराकरण किन प्रावधानों के तहत और किस-किस स्तर पर किया गया ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कोरबा नगर पालिक निगम के अंतर्गत कुल 1877 हे. भूमि मसाहती (अनसर्वेड) है. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) वर्ष 1928-29 में मिशल, वर्ष 1954-55 में अधिकार अभिलेख एवं निस्तार पत्रक के आधार पर मसाहती ग्रामों के खसरा-मसाहती एवं बी-1 प्रति वर्ष संधारित किया जाता है. (ग) भू-राजस्व संहिता 1959 की धाराओं में निहित प्रावधानों के तहत न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा निराकरण किया गया है. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

† परिशिष्ट "पांच" †† परिशिष्ट "छः"

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण एवं अधोसंरचना कार्य हेतु स्वीकृत राशि

20. (*क्र. 1219) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2007-08 में रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां तो, उक्त कालेज निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ? (ख) मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के भवन निर्माण एवं अधोसंरचना कार्य हेतु 31-1-10 तक कितनी राशि जारी की गई है ? क्या जिन-जिन कार्यों हेतु राशि जारी की गई है उनको पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं तो, क्यों ? (ग) क्या मेडिकल कॉलेज रायगढ़ हेतु एम.सी.आई. से मान्यता संबंधी प्रक्रिया शासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां तो, मान्यता कब तक मिल जायेगी ? यदि नहीं, तो कारण बतायें कि मेडिकल कॉलेज हेतु मान्यता की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. भवन निर्माण हेतु ले-आउट दिया जा रहा है. (ख) दिनांक 31-01-2010 तक भवन निर्माण हेतु रुपये 29.00 लाख का आवंटन प्रदान किया है. भवन निर्माण प्रगति पर है एवं उपलब्ध राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जावेगा. (ग) रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये लेटर ऑफ इंटेन्ट/लेटर ऑफ परमिशन के लिये नियमानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 23-8-2002 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था. भारत सरकार के पत्र दिनांक 17-12-2003 में कॉलेज परिसर में 300 बिस्तरीय अस्पताल नहीं होने की कमी बताते हुए प्रस्ताव वापस किया गया है. इस प्रकार 300 बिस्तरीय अस्पताल भवन निर्माण होने पर ही मान्यता प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी. समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जिला कोरबा के भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन की व्यवस्था

21. (*क्र. 504) **श्री बोधराम कंवर :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनविहीन हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन स्वीकृत हैं किन्तु भवन नहीं बन पाये हैं या निर्माणाधीन हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 156. कोरबा-42, कटघोरा-28, करतला-24, पाली-30 एवं पोड़ीउपरोड़ा-32. (ख) स्वीकृत-109, कार्य प्रांभ नहीं-24 एवं निर्माणाधीन-85.

जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस थानों एवं चौकियों में स्वीकृत तथा रिक्त पद

22. (*क्र. 1233) **श्री नारायण चंदेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के किन-किन पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई., एस.आई., टी.आई. के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? (ख) रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के समस्त पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) रिक्त पदों को भरने की यथासंभव कार्यवाही की जा रही है. रिक्त पदों के भरने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

जिला दुर्ग में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति

23. (*क्र. 651) **श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुर्ग जिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित लघु/अतिरिक्त/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा चिकित्सक की नियुक्ति हुई है ? अगर हां, तो कहां-कहां की गई है ? नियुक्ति स्वास्थ्य केन्द्र का नाम एवं चिकित्सक का नाम सहित जानकारी बतावें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जी हां, केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में. †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

---

† परिशिष्ट "सात" †† परिशिष्ट "आठ"

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन हेतु आवंटित एवं व्यय राशि

24. (*क्र. 240) **श्री संतोष बाफना :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01-10-2008 से 31-12-09 तक की अवधि में मलेरिया से कितनी मौतें हुई हैं ? वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में मलेरिया उन्मूलन के लिये जिला स्वास्थ्य विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है ? (ख) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन हेतु उक्त अवधि में कितनी राशि खर्च हुई ? (ग) क्या उक्त अवधि में मलेरिया से बचाव के लिए जगदलपुर विकासखण्ड में दवाई छिड़काव तथा मच्छरदानी वितरित की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 02 मौतें, वर्ष 2007-08 में राज्य शासन द्वारा 41,55,288/-, विश्व बैंक सहायतित 9,10,000/- कुल राशि रुपये 50,65,288/- तथा वर्ष 2008-09 में राज्य शासन द्वारा 60,59,000/-, विश्व बैंक सहायतित 48,03,000/- कुल राशि रुपये 1,08,62,000/- आवंटित किया गया. (ख) वर्ष 2007-08 में कुल राशि रुपये 49,70,651/- तथा वर्ष 2008-09 में कुल राशि रुपये 59,75,635/- का व्यय हुआ. (ग) जी हां.

नगर निगम सीमा क्षेत्र एवं नई राजधानी क्षेत्र रायपुर में एक रुपये टोकन में आवंटित भूमि

25. (*क्र. 739) **श्री मोहम्मद अकबर :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 एवं 2009 में नगर निगम सीमा क्षेत्र रायपुर एवं नई राजधानी क्षेत्र रायपुर में किनको-किनको, कहां-कहां की, कितनी-कितनी भूमि का आवंटन/अग्रिम अधिपत्य, कब-कब, किन-किन कार्यों के लिये, किन-किन शर्तों के अधीन किनके-किनके द्वारा एक रुपये टोकन में आवंटित की गई है ? (ख) उक्त आवंटित/अग्रिम आधिपत्य वाली भूमियों की अलग-अलग अद्यतन स्थिति क्या है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2007-08 में नगर निगम सीमा क्षेत्र के ग्राम सड्डू पटवारी हल्का नंबर 109/39 तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 99/1 एवं खसरा नंबर 8 में से रकबा 40 एकड़ भूमि राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के आदेश दिनांक 19-9-2008 द्वारा भारत अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वेदान्ता ग्रुप को कैंसर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर हेतु भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं समसंख्यक संशोधन आदेश दिनांक 3-10-2008 द्वारा राशि रु. 1/- (एक) प्रतिवर्ष लीज रेन्ट की स्वीकृति प्रदान की गई है. वर्ष 2009 में 1/- रु. टोकन राशि में नगर निगम सीमा क्षेत्र में भूमि आवंटित/अग्रिम आधिपत्य में नहीं दी गई. राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के द्वारा जारी उपरोक्त दोनों आदेश की तथा पट्टे की उल्लेखित शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. वर्ष 2007-08 में नया रायपुर में एक रुपये के टोकन में कोई भूमि आवंटित/अग्रिम अधिपत्य में नहीं दी गई. वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मेसर्स वेदांत मेडिकल रिसर्च फॉउण्डेशन द्वारा कैंसर चिकित्सालय एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोरबा के मध्य नया रायपुर में मेसर्स वेदांता रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा कैंसर चिकित्सालय एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट विकास के संबंध में दिनांक 17 अगस्त 2009 को मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ जिसके तारतम्य में राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2009 के अनुपालन में नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 20.23 हेक्टेयर भूमि नया रायपुर में आवंटन की सहमति दी गई है. उक्त भूमि में से 16.88 हेक्टेयर भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिनांक 11 नवम्बर 2009 को दिया गया है. संबंधित भूमि नया रायपुर लेयर-1 के ग्राम-खपरी, प. ह. नं.-71/16 तथा ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं.-137/16 में स्थित है. उपरोक्त भूमि छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के अध्यधीन शर्तों के अनुसार एक रुपये प्रतिवर्ष के टोकन लीज रेंट पर आवंटित किये जाने की सहमति दी गई है. शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर उल्लेखित है. (ख) राजस्व विभाग द्वारा ग्राम सड्डू में आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा दीवालनुमा घेरा कर कब्जा किया हुआ है. नया रायपुर में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार अग्रिम अधिपत्य वाली भूमि में मेसर्स वेदान्ता मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा कैंसर चिकित्सालय एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट हेतु विकास कार्य किये जा रहे हैं.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 1137) के भाग (ग) की जानकारी]

अपमिश्रित खाद्य पदार्थ पाये गये प्रकरण की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	(27 जनवरी 10 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	24	52	
2.	महासमुंद	निरंक	निरंक	निरंक
3.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक
4.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक
5.	जगदलपुर (बस्तर)	निरंक	01	निरंक
6.	दन्तेवाडा	निरंक	निरंक	निरंक
7.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक
9.	बिलासपुर	08	13	निरंक
10.	जांजगीर-चांपा	निरंक	02	निरंक
11.	कोरबा	निरंक	02	निरंक
12.	रायगढ़	निरंक	01	निरंक
13.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक
14.	अम्बिकापुर	1	निरंक	निरंक
15.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक
16.	दुर्ग	04	11	निरंक
17.	राजनांदगांव	07	07	05
18.	कवर्धा	निरंक	01	निरंक
	कुल	**44**	**90**	**05**

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 1110) के भाग (क) की जानकारी]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों को जिन व्यक्तियों के नाम से आवंटित किया गया है, उनके नाम एवं स्थान की जानकारी निम्नानुसार है :-

(अ) देशी शराब दुकान :-

क्र. (1)	लायसेंसी का नाम/पिता का नाम (2)	मदिरा दुकान का प्रकार (3)	आवंटित दुकान का स्थान (4)
1.	श्री विनोद सिंह आ. लक्ष्मी सिंह	देशी मदिरा	खुज्जी
2.	श्री विनोद सिंह आ. लक्ष्मी सिंह	देशी मदिरा	बनगवागांव
3.	श्री विनोद सिंह आ. लक्ष्मी सिंह	देशी मदिरा	धोबनी
4.	श्री विश्राम सिंह हल्बा आ. भिखारी हल्बा	देशी मदिरा	गैंदाटोला
5.	श्री धुरचंद आ. विदेशी राम साहू	देशी मदिरा	छुरिया
6.	श्री संतोष आ. कृष्णा सिंह ठाकुर	देशी मदिरा	अंबागढ़ चौकी
7.	श्री संतोष आ. कृष्णा सिंह ठाकुर	देशी मदिरा	बांधा बाजार

(अ) विदेशी शराब दुकान :-

क्र. (1)	लायसेंसी का नाम/पिता का नाम (2)	मदिरा दुकान का प्रकार (3)	आवंटित दुकान का स्थान (4)
6.	श्री संतोष आ. कृष्णा सिंह ठाकुर	विदेशी मदिरा	अंबागढ़ चौकी
7.	श्री जीवन आ. तुलसी राम सिन्हा	विदेशी मदिरा	चिचोला

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07(क्र. 738) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोरबा जिला के स्पंज आयरन संयंत्र मे. इण्डो स्पंज पावर एण्ड स्टील प्रा. लि. की वर्षवार एवं मदवार वसूल की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष (1)	अधिनियम (2)	टैक्स (राशि) (3)	शुल्क (राशि) (4)	जुर्माना (राशि) (5)	योग (राशि) (6)	जमा (राशि) (7)	शेष (राशि) (8)
2006-07	प्रांतीय	690626.00	-	700.00	691326.00	691326.00	निरंक
2006-07	केन्द्रीय	433844.00	-	600.00	434444.00	434444.00	निरंक
2006-07	प्रवेशकर	10252.00	-	600.00	10852.00	10852.00	निरंक
2007-08	प्रांतीय	1666681.00	-	निरंक	1666681.00	1666681.00	निरंक
2007-08	केन्द्रीय	294000.00	-	निरंक	294000.00	294000.00	निरंक
2007-08	प्रवेशकर	निरंक	-	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2008-09	प्रांतीय	2952356.00	-	निरंक	2952356.00	2952356.00	निरंक
2008-09	केन्द्रीय	110232.00	-	निरंक	110232.00	110232.00	निरंक
2008-09	प्रवेशकर	निरंक	-	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

प्रपत्र "ब"

जांजगीर जिला में इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. की वर्षवार एवं मदवार वसूल की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	अधिनियम	टैक्स (राशि)	शुल्क (राशि)	जुर्माना (राशि)	योग (राशि)	जमा (राशि)	शेष (राशि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2006-07	प्रांतीय	235479980.00	-	800.00	235480780.00	235480780.00	निरंक
2006-07	केन्द्रीय	29269079.00	-	निरंक	29269079.00	29269079.00	निरंक
2006-07	प्रवेशकर	52035945.00	-	800.00	52036745.00	52036745.00	निरंक
2007-08	प्रांतीय	295151047.00	-	निरंक	295151047.00	295151047.00	निरंक
2007-08	केन्द्रीय	62295952.00	-	निरंक	62295952.00	62937861.00	641909(अधिक)
2007-08	प्रवेशकर	58576613.00	-	निरंक	58576613.00	29500000.00	29076613.00
2008-09	प्रांतीय	297250745.00	-	निरंक	297250745.00	297207804.00.00	42941.00
2008-09	केन्द्रीय	103820033.00	-	निरंक	103820033.00	103820033.00	निरंक
2008-09	प्रवेशकर	74569482.00	-	निरंक	74569482.00	निरंक	74569482.00

प्रपत्र "स"

वर्ष 2006-07 में मदवार करों का निर्धारण निम्न तिथियों एवं निम्न अधिकारियों द्वारा किया गया :-

स्पंज आयरन संयंत्र का नाम	अवधि	अधिनियम	टेक्स (राशि)	आदेश पारित दिनांक	अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मे. इंडो स्पंज पावर एंड स्टील प्रा. लि.	2006-07 2006-07 2006-07	प्रांतीय केन्द्रीय प्रवेशकर	690626.00 433844.00 10252.00	14-05-09 14-05-09 14-05-09	श्रीमती जे. के. उरांव तत्कालीन सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कोरबा.
मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	2006-07 2006-07 2006-07	प्रांतीय केन्द्रीय प्रवेशकर	235479980.00 29269079.00 52035945.00	10-06-08 10-06-08 10-06-08	श्री पी. आर. देवांगन, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कोरबा.

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 702) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक	जिले का नाम	त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम वाले चिकित्सकों की संख्या	वर्तमान में कार्यरत ग्रामीण चिकित्सा सहायकों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कांकेर	36	21
2.	जगदलपुर	65	54
3.	जशपुर	39	36
4.	कोरिया	31	30
5.	राजनांदगांव	52	47
6.	बीजापुर	17	09
7.	सरगुजा	96	96
8	कोरबा	42	30
9.	नारायणपुर	09	06
10.	दंतेवाड़ा	31	23
11.	कबीरधाम	26	25
12.	रायगढ़	59	26
13.	रायपुर	81	80
14.	बिलासपुर	84	83
15.	दुर्ग	86	86
16.	धमतरी	26	30
17.	महासमुंद	30	30
18.	जांजगीर-चांपा	48	47
	कुल योग	**858**	**759**

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 316) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र. (1)	औषधियों का नाम (2)	विवरण (3)	प्रदाय मात्रा (4)	ड्रग एजेंसी का नाम (5)
1.	इन्जे. आई. वी. डी. एन. एस.	500 एम. एल.	1392 बोटल	मुख्य चिकित्सा एवं
2.	इन्जे. आई. वी. एन. एस.	500 एम. एल.	3442 बोटल	स्वास्थ्य अधिकारी-
3.	इन्जे. आई. वी. डी. 5	500 एम. एल.	2040	कोरिया.
4.	इन्जे. आई. वी. सिप्रोफ्लोक्सासिन	100 एम. एल.	96 बोटल	
5.	इन्जे. आई. वी. मेट्रोजिल	100 एम. एल.	200 बोटल	
6.	इन्जे. आई. वी. आईसोलाइट पी	500 एम. एल.	112	
7.	इन्जे. डोपामाइन	5 एम. एल.	100	
8.	इन्जे. एम्पीसिलीन	500 एम. एल.	700	
9.	इन्जे. पेनीसिलीन	6 लाख	1000	
10.	इन्जे. पेनीसिलीन	24 लाख	75	
11.	इन्जे. ऐ. आर. वी.	-	200	
12.	इन्जे. ऐ. एस. वी.	10 एम. एल	90	
13.	आई ड्राप सिप्रोफ्लोक्सासिन	5 एम. एल.	500	
14.	टेब. पेरासिटामोल	500 एम. जी.	31360	
15.	टेब. सेप्ट्रान एस. एस.	480 एम. जी.	26880	
16.	टेब. नीमासुलाइड	100 एम. जी.	6000	
17.	टेब. सिप्रोफ्लोक्सासिन	500 एम. जी.	9000	
18.	टेब. आइरन फालिक ऐसिड	लार्ज	26880	
19.	टेब. आइरन फालिक ऐसिड	स्माल	35840	
20.	टेब. एटीनोल्ल	50 एम. जी.	5000	
21.	टेब. एटीनोल्ल	100 एम. जी.	5000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	केप. एमोक्सीसिलीन	250 एम. जी.	5000	
23.	केप. एमोक्सीसिलीन	500 एम. जी.	5000	
24.	केप. टेट्रासाइक्लीन	500 एम. जी.	5000	
25.	केप. सिफालोक्सिन	500 एम. जी.	5000	
26.	केप. एम्पीसिलीन	250 एम. जी.	3000	
27.	केप. एम्पीसिलीन	500 एम. जी.	3000	
28.	टेब. ऐल्बेन्डाजोल	400 एम. जी.	5240	
29.	टेब. ऐन्टासिड	500 एम. जी.	26880	
30.	टेब. नारफ्लाक्सिन टिन्डाजोल	400, 600 एम. जी.	5000	
31.	टेब. क्लोरिन	05 एम. जी.	600000	
32.	गामा बेन्जोइन	100 एम. एल.	448	
33.	जन्सन वायलेट	100 एम. एल.	448	
34.	सर्जिकल इसप्रिट	100 एम. एल.	448	
35.	सीरप पेरासिटामोल	60 एम. एल.	748	
36.	सीरप सेप्ट्रान	60 एम. एल.	896	
37.	सीरप कफ	100 एम. एल.	100	
38.	सीरप प्रोमेथाजिन	100 एम. एल.	300	
39.	फिनायल ब्लैक		855	
40.	टेब. माला एन.		23000	
41.	टेब. ऐरीथ्रोमाइसिन	250 एम. जी.	2400	
42.	वाटर फार टेस्ट किट		50	
43.	एम. बी. आई. किट		80	
44.	पाउडर ओ. आर. एस.		12000	
45.	ब्लीचिंग पाउडर	125 कि. ग्रा.	210	
46.	इन्जे. आई. बी. आर. एल.	500 एम. एल.	1248	

जिला स्तर से क्रय कर सामुदायिक स्वा. केन्द्र मनेन्द्रगढ़ को वर्ष 2008-09 में प्रदाय की गई दवाईयों की सूची :-

क्र. (1)	औषधियों का नाम (2)	विवरण (3)	प्रदाय मात्रा (4)	ड्रग एजेंसी का नाम (5)
1.	इन्जे. आई. वी. डेक्सट्रोज 5 %	500 एम. एल.	240	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-कोरिया.
2.	इन्जे. आई. वी. सिप्रोफ्लोक्सासिन	100 एम. एल.	600	
3.	इन्जे. आई. वी. मेट्रोजिल	100 एम. एल.	196	
4.	इन्जे. आई. वी. डी. 10 प्रतिशत	500 एम. एल.	120	
5.	इन्जे. लिग्नोकेन 2 प्रतिशत	30 एम. एल.	700	
6.	इन्जे. आई. वी. डेक्सट्रोस 50 %	10 एम. एल.	150	
7.	इन्जे. आई. वी. डेक्सट्रोस 25 %	10 एम. एल.	125	
8.	इन्जे. सोडावाय कार्बोनेट	10 एम. एल.	200	
9.	इन्जे. क्रोमोस्टेट	2 एम. एल.	200	
10.	इन्जे. ऐड्रेनालिन	2 एम. एल.	200	
11.	इन्जे. मेटाक्लोफेरामाइड	10 एम. एल.	100	
12.	इन्जे. मेटाक्लोफेरामाइड	2 एम. एल.	600	
13.	इन्जे. ऐम्पीसिलीन	1 ग्राम	500	
14.	इन्जे. ऐम्पीसिलीन	500 मि. ग्रा.	0	
15.	इन्जे. सिफाटाक्सिम	1 ग्राम	1700	
16.	इन्जे. डायसायक्लोमिन	30 एम. एल.	650	
17.	इन्जे. डेरीफायलिन	2 एम. एल.	500	
18.	इन्जे.पेनिसिलीन	12 लाख	100	
19.	इन्जे. डायक्लोफेन सोडियम	3 एम. एल.	2200	
20.	इन्जे. डायक्लोफेन सोडियम	30 एम. एल.	300	
21.	इन्जे. पेरासिटामोल	30 एम. एल.	120	
22.	इन्जे. सी. पी. एम.	30 एम. एल.	50	
23.	इन्जे. सी. पी. एम.	2 एम. एल.	100	
24.	इन्जे. जेन्टायसिन	30 एम. एल.	300	
25.	इन्जे. बी1, बी6, बी12	30 एम. एल.	200	
26.	इन्जे. सायनाकोबालामिन	30 एम. एल.	300	
27.	इन्जे. रेनीटाडिन	30 एम. एल.	100	
28.	इन्जे. डायजापाम	2 एम. एल.	1950	
29.	टेब. सिट्राजिन	10 एम. जी.	12000	
30.	टेब. डायसायक्लोमिन	20 ए. जी.	4800	
31.	टेब. डामपेरीडान	10 ए. जी.	2800	
32.	टेब. बेटामेथाजोन	5 ए. जी.	5000	
33.	टेब. सी. पी. एम.	4 एम. जी.	2800	
34.	केप. ऐमोक्सीसिलीन	250 एम. जी.	2800	
35.	केप. डाक्सीसायक्लीन	500 एम. जी.	10000	
36.	इन्जे. पेन्टाजोसिन	1 एम. एल.	1700	
37.	इन्जे. ऐन्ट्रोपिन सल्फेट	1 एम. एल.	2100	
38.	इन्जे. क्लोराक्यून	5 एम. एल.	2000	
39.	इन्जे. कुनीन एच. सी. एल.	2 एम. एल.	2400	
40.	इन्जे. फ्रूसामाइड	2 एम. एल.	300	
41.	इन्जे. एमीकासिन	250 एम. जी.	200	
42.	इन्जे. ऐनालजिन	30 एम. एल.	200	
43.	इन्जे. डेक्सामेथसोन	30 एम. एल.	200	
44.	इन्जे. केल, ग्लूकोनेट	10 एम. एल.	200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	इन्जे. डिस्टिल वाटर	5 एम. एल.	3400	
46.	इन्जे. फिनारगन	2 एम. एल.	20	
47.	इन्जे. निकेथामाइड	2 एम. एल.	100	
48.	आई आयन्ट टेट्रासाक्लीन	ट्यूब	560	
49.	टेब. पेरासिटामोल	500 एम. जी.	307350	
50.	टेब. सेप्ट्रान एस. एस. (कोट्राइमेक्साजोल)	480 एम. जी.	155640	
51.	टेब. मेट्रोजिल	400 एम. जी.	115000	
52.	टेब. मेट्रोजिल	200 एम. जी.	41000	
53.	टेब. मेटाक्लोपेरामाइड	10 एम. जी.	22000	
54.	टेब. न्यूमासुलाइड	100 एम. जी.	3500	
55.	टेब. इबु-ब्रूफेन	400 एम. जी.	15000	
56.	टेब. नारफ्लाक्सिन	400 एम. जी.	12000	
57.	टेब. सिप्रोफ्लाक्सिन	500 एम. जी.	5000	
58.	टेब. सिप्रोफ्लाक्सिन	250 एम. जी.	3000	
59.	टेब.सेप्ट्रान डी. एस. (कोट्राइमेक्साजोल)	960 एम. जी.	10000	
60.	टेब. ओफ्लोक्सासिन	400 एम. जी.	4000	
61.	टेब. मल्टीविटामिन	-	20000	
62.	टेब. केल्सियम ग्लूकोनेट	500 एम. जी.	30000	
63.	टेब. विटामिन बी. काम्पलेक्स	-	15000	
64.	टेब. केलसियम कार्बोनेट	500 एम. जी.	14000	
65.	टेब. आयरन फालिक ऐसड	लार्ज	185000	
66.	टेब. आयरन फालिक ऐसड	स्माल	60000	
67.	टेब. फूराजोलाडीन	100 एम. जी.	115000	
68.	पाउडर ओ. आर. एस.	27.5 ग्राम	62000	
69.	टेब. ऐलबेन्डाजोल	400 एम. जी.	6720	
70.	टेब. सालबूटामोल	4 एम. जी.	5000	
71.	टेब. ऐन्टासिड	500 एम. जी.	135640	
72.	गामा बेन्जोइन लोशन	100 एम. जी.	3436	
73.	जनसन वासलेट पेन्ट	100 एम. एल.	138	
74.	सीरप कफ	100 एम. एल.	100	
75.	पाउडर फ्रेन चाक टालकम	500 ग्राम	100	
76.	सीरप विटामिन बी. कम्प्लाक्स	200 एम. एल.	300 बाटल	
77.	आइन्ट पोवीडान आयोडीन	500 ग्राम	30	
78.	ऐन्टीसेप्टिक लोसन सायलोन	500 एम. एल.	100	
79.	लोसन पोवीडान आयोडीन	500 एम. एल.	75	
80.	फार्मोलिन लोशन	400 एम. एल.	20	
81.	ब्लड ग्रुपिंग ऐन्टीजन ए. बी. डी. 1 3 5 एम. एल.	5 एम. एल.	10	
82.	आइन्ट सिलवर सल्फाडायजिन	250 ग्राम	20	
83.	सर्जिकल इसप्रिट	500 एम. एल.	35	
84.	सर्जिकल इसप्रिट	400 एम. एल.	45	
85.	सीपर-फ्यूराजोलाडिन	60 एम. एल.	200	

इसके अतिरिक्त जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र-बैंकुण्ठपुर से निम्नलिखित मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराई गई है :-

क्र. (1)	औषधियों का नाम (2)	विवरण (3)	प्रदाय मात्रा (4)	ड्रग एजेंसी का नाम (5)
1.	एन्टी टी. बी. ड्रग केट-प्रथम	-	173 बाक्स	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-कोरिया.
2.	एन्टी टी. बी. ड्रग केट-द्वितीय	-	27 बाक्स	
3.	एन्टी टी. बी. ड्रग केट-तृतीय	-	23 बाक्स	
4.	टेब-आयसोनेक्स	300 एम. जी.	300 टेब	
5.	टेब-आयसोनेक्स	100 एम. जी.	3800 टेब	
6.	इन्जेक्सन-इसटप्टोमाइसिन	75 एम. जी.	672 वायल	
7.	केप-रिफाम्पसिन	150 एम. जी.	200 केप	
8.	टेब-पेराजिनामाईड	500 एम. जी.	240 टेब	
9.	टेब-ईथामबुटोल	800 एम. जी.	560 टेब	

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर से प्राप्त मलेरिया रोधी औषधियां प्रदाय की सूची, 2008-2009

क्र. (1)	दवा/उपकरण/सामग्री का नाम (2)	योग (3)	(4)
1.	टेब. क्लोरोक्वीन	474000	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-कोरिया.
2.	टेब. प्राइमाक्वीन 2.5 एम. जी.	10000	
3.	टेब. प्राइमाक्वीन 7.5 एम. जी.	151000	
4.	बिस्टर पेक	22500	
5.	टेब.-कुनेन	13000	
6.	इन्जेक्सन-कुनेन	800 एम्पुल	
7.	इन्जेक्सन-आरटीहर	1425 एम्पुल	
8.	डेल्टामेथ्राइन	220 बाटल	
9.	डी. डी. टी.	36 एम. टी.	
10.	आर. टी. किट	8875	

परिशिष्ट "छ: "

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1228) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

विवरण	वर्ष 2007-08 में दर्ज प्रकरण	निराकृत	लंबित	वर्ष 2008-09 में दर्ज प्रकरण	निराकृत	लंबित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अ-6	91	91	00	92	89	03
अ-6अ	24	22	02	10	05	05
अ-12	30	30	00	10	10	00
अ-27	02	02	00	07	05	02
ब-121	14	14	00	16	11	05
योग	**161**	**159**	**02**	**135**	**120**	**15**

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1233) के भाग (क) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले के थाने, चौकियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

स. क्र.	थाने व चौकियों के नाम	स्वीकृत					रिक्त				
		निरी	उनि	सउनि	प्रआर	आर	निरी	उनि	सउनि	प्रआर	आर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	थाना जांजगीर	1	4	6	11	43	0	1	1	3	4
2.	अ. जा. क. थाना	0	1	2	4	16	0	0	2	1	11
3.	थाना चांपा	1	3	3	9	37	0	3	0	0	6
4.	थाना अकलतरा	1	2	3	7	29	0	1	0	0	4
5.	थाना सक्ती	1	2	4	7	28	0	1	0	2	10
6.	थाना बलौदा	1	2	4	8	32	1	1	1	0	12
7.	थाना शिवरीनारायण	0	1	1	4	8	0	0	0	0	0
8.	थाना बम्हनीडीह	0	2	2	6	26	0	1	0	2	17
9.	थाना मालखरौदा	0	1	2	5	18	0	0	1	0	8
10.	थाना बाराद्वार	0	1	1	4	12	0	0	0	0	0
11.	थाना जैजैपुर	0	1	1	3	10	0	0	0	0	0
12.	थाना चन्द्रपुर	0	1	1	3	14	0	0	0	0	0
13.	थाना नवागढ़	1	3	3	8	34	0	3	0	1	18
14.	थाना पामगढ़	0	1	1	3	8	0	0	0	0	0
15.	थाना सारागांव	0	1	1	3	12	0	0	0	0	0
16.	थाना डभरा	1	1	2	5	15	0	0	2	0	3
17.	थाना बिर्रा	1	2	4	8	32	नवीन पुलिस थाना अप्रारंभ.				
	योग	**8**	**29**	**41**	**98**	**374**	**1**	**11**	**7**	**9**	**93**
18.	चौकी नैला	0	1	2	3	12	0	0	2	0	1
19.	चौकी पंतोरा	0	0	1	2	8	0	0	0	0	2
20.	चौकी हसौद	0	1	2	3	12	0	0	1	0	5
21.	चौकी कंदोरा	0	1	1	2	15	नवीन पुलिस चौकी अप्रारंभ.				
22.	चौकी अड़भार	0	1	2	4	20	नवीन पुलिस चौकी अप्रारंभ.				
	योग	**0**	**4**	**8**	**14**	**67**	**0**	**0**	**3**	**0**	**8**
	महायोग	**8**	**33**	**49**	**112**	**441**	**1**	**11**	**10**	**9**	**101**

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 651) की जानकारी]

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	संस्था का नाम एवं स्थान (3)	चिकित्सक का नाम (4)
1.	दुर्ग (निकुम)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगपुरा	डॉ. अनिल शुक्ला
2.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहका	डॉ. कु. मधुबाला मुलकलवार
3.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेवरा	डॉ. निधि मेश्राम
4.			डॉ. भागवत राय
5.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निकुम	डॉ. आशा मिश्र
6.	गुण्डरदेही	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माहुद बी	डॉ. अजयपाल चन्द्राकर
7.	धमधा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरडुंग	डॉ. प्रतिमा विश्वास
8.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेण्ड्रावन	डॉ. सुभाषचंद्र सोनी
9.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दारगांव	डॉ. व्ही. पी. अग्रवाल
10.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरमुंदा	डॉ. उमेश कुमार शर्मा
11.	बेरला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरबीजा	डॉ. भेखनलाल मरकाम
12.	गुरूर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरूर	डॉ. तुलसीराम
13.	नवागढ़	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवागढ़	डॉ. कृष्णाकुमार हर्शरिया
14.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टेमरी	डॉ. कंचन दास जोगी
15.	पाटन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बटरेल	डॉ. जी. मीनालोचनी